रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 7, 2015/आश्विन 15, 1937
No. 617] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2015/ASVINA 15, 1937

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 763(अ).—राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उप-धारा 11.7 के खंड 11 द्वारा कार्यकारी परिषद को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पत्र सं. 15-41(4)/2013-14/एजी II दिनांक 18-9-2015 के द्वारा प्राप्त केंद्र सरकार के अनुमोदन से, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) में निदेशक के पद की भर्ती की विधि को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम निर्धारित किए गए हैं:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ—**

1.1 इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, (निदेशक) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2015 कहा जाएगा।

1.2 ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **प्रयोज्यता.—**ये विनियम 'अनुबंध' के रूप में संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पद के लिए लागू होंगे।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.—** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, उससे संबद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट किए गए के अनुसार होगा।

4. **भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हता आदि.—** उक्त पद पर भर्ती की विधि, आयु-सीमा अर्हता और इससे संबंधित अन्य विषय, उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में निर्दिष्ट किए गए के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**- ऐसा कोई व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसकी जीवित पति-पत्नी है, अथवा

(ख) ऐसा व्यक्ति जिसने जीवित पति-पत्नी के रहते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह हेतु अनुबंध किया है, उक्त पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

बशर्ते कि स्वायत्त निकाय इससे संतुष्ट होने पर कि ऐसा विवाह, उक्त व्यक्ति एवं दूसरे पक्ष के लिए विवाह हेतु प्रयोज्य वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को मुक्त कर सकती है।

6. **छूट देने की शक्ति.—** जहां स्वायत्त निकाय का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, वह केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित में दर्ज किए गए कारणों से किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्ति के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में आदेश द्वारा छूट दे सकती है।

7, **व्यावृत्ति.—** इन नियमों में कोई भी नियम इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड और ग्रेड-पे	चयन-पद अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्तियों हेतु निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत अधिकारियों के मामले में लागू होगी?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निदेशक	एक (1)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (गैर-अनुसचिवीय)	37,400-67,000 रु. (ग्रेड वेतन 8,700 रु.)	गैर-चयन	पचास वर्ष से अधिक नहीं *** (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट) **नोटः** आयु-सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी, (न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले एवं चम्बा जिले	**आवश्यकः** **सीधी भर्ती के लिएः** **शैक्षिक योग्यताः** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। **अनुभवः** सामाजिक क्षेत्र आयोजना एवं प्रशासन में दस वर्ष का अनुभव। **वांछनीयः** उपर्युक्त किसी भी विषय में डॉक्टर की डिग्री। सामाजिक कार्य के क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण/नशीली दवा का दुरूपयोग का निवारण/ भिक्षावृत्ति निवारण/उभय-लिंगी के कल्याण से संबंधित कार्य शामिल हैं। सामाजिक क्षेत्र में किसी संगठन के प्रमुख के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य किया हो।	लागू नहीं

					का पांगी उप-मंडल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)	**प्रतिनियुक्ति पर लिए गए व्यक्तियों हेतुः** **शैक्षिक योग्यताएं:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। **अनुभवः** अखिल भारतीय सेवाएं श्रेणी-I के केन्द्र/राज्य सरकारों के अधिकारी, विश्वविद्यालयों अथवा अनुसंधान संस्थानों में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र हैं। उप सचिव के ग्रेड में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अधिकारी भी प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। **वांछनीयः** सामाजिक सेक्टर आयोजना, प्रबंधन, प्रशिक्षण अथवा प्रशासन में अनुभव **नोटः** प्रतिनियुक्ति न्यूनतम तीन वर्षों के लिए होगी।	

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती पद्धतिः** क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की जाएगी और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड्स जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) मौजूद है, इसकी रचना क्या है?	वो परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (स.लो.से.आ.) से विचार-विमर्श करना होता है।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती हेतु एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, जिसके न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा, दोनों के न होने पर सीएसबी प्रक्रिया के माध्यम से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण** केन्द्र/राज्य सरकारों के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा अनुसंधान संस्थानों में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र हैं। उप सचिव के ग्रेड में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अधिकारी भी प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। **नोट 1:** प्रतिनियुक्ति न्यूनतम तीन वर्षों के लिए होगी। **नोट 2:** केंद्र सरकार के उसी संगठन/विभाग अथवा अन्य संगठन/विभागों में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित अन्य संवर्ग-	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति की रचना निम्नानुसार है:-** 1. सचिव (सा.न्याय. और अधि.) -अध्यक्ष 2. संस्थान प्रभारी, संयुक्त सचिव -सदस्य 3. एक अन्य संयुक्त सचिव -सदस्य	लागू नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) एक स्वायत्त निकाय है। -

		बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 15-41 (4)/2013-14/एजी-II]
ग़ज़ाला मीनाई, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2015

G.S.R. 763(E).—In exercise of the powers of Executive Council conferred by clause 11 of Sub –section 11.7 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Central Government vide Ministry of Social Justice and Empowerment letter No. 15-41(4)/2013-14/AG II, dated 8th September, 2015, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director in the National Institute of Social Defence (NISD) are laid down:-

1. **Short title and commencement—**

   1.1 These rules may be called the 'the National Institute of Social Defence (Director) Recruitment (Amendment) Rules, 2015..

   1.2 They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—** These regulations shall apply to the post specified in Column 1 of the Schedule placed at "Ánnexure".

3. **Number of posts, classification and scale of pay.—** The number of the said post, classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.—** No person,—

   a. Who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   b. Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. **Power to relax.—** Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for the reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay/pay scale	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Director	One (1)	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 37,400-67,000 Grade Pay Rs. 8700	Non-Selection

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for transfer on deputation basis and direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not exceeding Fifty years ****** (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note :** The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Mehgalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Essential :** **For Direct Recruitment:** Master's Degree in Social Work or Sociology or Master of Business Administration from a Recognized University. **Experience:** Ten Years experience in Social Sector Planning and Administration. **Desirable:** Doctorate Degree in any of the subjects mentioned above. The areas of social work would include welfare of senior citizen/drug abuse prevention /beggary prevention/transgender, Independently administering an organization in social sector as Head. **For Persons taken on Deputation:** **Educational Qualifications:** Bachelor's Degree from a Recognised University. Experience: Officers under the Central/State Governments belonging to All India Services Class-I. Universities, Public Sector Undertakings and recognized Universities or Research Institutes holding analogous posts are eligible for deputation. Officers serving in the grade of Deputy Secretary with minimum of three years' service in the grade on substantive basis will also be eligible for appointment on transfer on deputation basis.	Not applicable

	Desirable: Having experience in Social Sector Planning, Management, Training or Administration. **Note:** Deputation will be for a minimum period of three years.	

Period of probation, if any.	**Method of recruit-ment** whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee (DPC) exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission (UPSC) is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
One year for direct recruits	By Transfer on deputation, failing which by direct recruitment failing both by deputation of officers through CSB procedure.	**Transfer on Deputation:** Officers under the Central/State Governments/ Public Sector Undertakings and Recognised Universities or Research Institutes holding analogous posts, are elibible for deputation. Officers serving in the grade of Deputy Secretary with minimum of three years service to the grade on substantive basis will also be eligible for appointment on transfer on deputation basis. **Note 1.** Deputation will be for a minimum period of three years. **Note 2.** The period of deputation including the period of deputation in another ex cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.	**Composition of Group ʹAʹ Departmental Promotion Committee is as under:** (1) Secretary (SJ&E)-Chairman (2) Joint Secretary in charge of the Institute-Member (3) One other Joint Secretary - Member	Not Applicable as National Institute of Social Defence (NISD) is an Autonomous Body.

[F. No. 15-41(4)/2013-14/AG II]

GHAZALA MEENAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.